कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**021 / 15, 03.06.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री रवीन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.06.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में एक ऑडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2000 के लगभग किया गया। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 में ऑडिट प्रस्तर संख्या-1 (10) में इस बात का उल्लेख है कि निगम द्वारा व्यापार कर फार्म-3डी का लाभ न लेने के फलस्वरूप 5% व्यापार कर के स्थान पर 12.5% की दर से खरीद पर व्यापार कर का अधिक भुगतान किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कार्य स्थल, गोमती नगर, लखनऊ का निर्माण कार्य वर्ष 2000 के लगभग कार्यदायी एजेन्सी के रूप में किया गया था जिसके सन्दर्भ में उक्त ऑडिट आपत्ति इंगित की गयी थी। निगम द्वारा जो भी सामग्री उक्त कार्य हेतु क्रय की गयी, के सम्बन्ध में निगम द्वारा फार्म-3डी का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि यह कार्य निगम का स्वयं का कार्य नहीं था अपितु कार्यदायी एजेन्सी के रूप में कार्य कराया गया था। निगम को ऐसी परिस्थिति में फार्म-3डी का लाभ प्राप्त हो सकता था अथवा नहीं ? यदि निगम लाभ ले सकता था तो किस धारा के अन्तर्गत लें सकता था ? यदि नहीं ले सकता था तो किस धारा के अन्तर्गत नहीं ले सकता था ?.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री रवीन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-782, दिनांक 09.09.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड राज्य सरकार का एक उपक्रम है एवं वाणिज्य कर विभाग में मुख्यत: कार्य संविदा के कार्य हेतु पंजीकृत है। धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित बिन्दु कि निगम वर्ष 2000 में आबंटित कार्य हेतु क्रय किये गये सामग्री के विरूद्ध फार्म-3डी का लाभ ले सकता है अथवा नहीं, व्यापार कर की अवधि से सम्बन्धित है। व्यापार कर अधिनियम

....2

की धारा-3जी में व्यवस्था दी गयी है कि धारा-3जी, कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर (1) धारा-3-ए या धारा-3डी या धारा-3एफ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा-(2) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य सरकार विज्ञाप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम या उपक्रम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को (जो कोई नगम निगम, नगरपालिका परिषद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था या तत्समय किसी अधिकृत नियन्त्रक द्वारा प्रबन्धित कोई संस्था न हो) बेचे गये माल के विक्रयधन पर, यदि व्यापारी ऐसे विभाग से प्राप्त मान्यता प्रमाण-पत्र या ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी से प्राप्त घोषणा-पत्र, कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूपपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाये, प्रस्तुत करे तो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उपधारा-(1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी बिक्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, लगाया और दिया जायेगा, जब तक कि माल इस एक्ट की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर लगाने योग्य न हो।

परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी निगम, उपक्रम या कम्पनी को की गयी बिक्री के मामले में व्यापारी से इस उपधारा के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी को माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश की प्रति, माल के परिदान का प्रमाण और रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

उपधारा-(1) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जिसे ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी द्वारा फिर से बेचने के लिए या बिक्री के लिए (विद्युत उर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन से भिन्न) किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिए क्रय किया जाये, या यदि ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो, लागू नहीं होंगे।

धारा-3जी (1) व (2) में दी गयी व्यवस्था से स्पष्ट है कि निगम ऐसी सामग्री की खरीद हेतु फार्म-डी का लाभ ले सकता है, जिसे फिर से बेचने के लिए या बिक्री के लिए (विद्युत उर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन से भिन्न) किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिए क्रय न किया गया हो।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-107 / एसी / 10 / समपरीक्षा / 600 / रानिनि / दिनांक 21.06.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी थी। उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-विधि-4 (3) राजकीय निर्माण निगम-(2015-16) / 801 / वाणिज्य कर, दिनांक 24.07.2015 से स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उठाये गये प्रश्न का विनिश्चय किया जा चुका

.....3

है तथा उक्त के अनुसार कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों / संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु जो सामग्री निगम आदि द्वारा जारी की जाती है, वह भवन निर्माण में प्रयुक्त होने के कारण बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आती है एवं तदनुसार उस पर 3डी का लाभ अनुमन्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। तत्कालीन व्यापार कर अधिनियम की धारा-3G के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों / संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु जो सामग्री निगम द्वारा क्रय की जाती है वह भवन निर्माण में प्रयोग होने के कारण बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आती है एवं तद्नुसार उस पर 3D का लाभ अनुमन्य नहीं है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 06 नवम्बर, 2015

ह0 / 06.11.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।